संख्याः 3391 / XV-1/09/ 1(6)/07

प्रेषक,

विनोद फोनिया ,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 16 नवम्बर, 2009

विषयः अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक 4403–पशुपालन आयोजनागत योजनाओं में वर्ष 2009–10 हेतु धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–1824/नि०–5/भ०नि०ट्रा०यो०/2008–09 दिनांक 2 अक्टूबर, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में पशुपालन विभाग की जिला सैक्टर चालू योजनाओं हेतु आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–31 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रूपया 14.00 लाख (रूपया चौदह लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्ध के अधीन प्रादिष्ठ किये जाने की निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	धनराशि
1	उत्तरकाशी	14.00
	योग	**14.00**

(1) उपरोक्त विवरणानुसार निर्गत स्वीकृति को तत्काल मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्ट करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृति परिव्यय के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन कर लिया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक –4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01–पशु सेवा चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–515 (1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 3391 (1)/ XV-1/ 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली को इस आशय से प्रेषित कि भविष्य में एरा०सी०एस०पी० एवं टी०एस०पी० के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के सम्मुख योजनायें प्रस्तुत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित योजना एस०सी०एस०पी० एवं टी०एस०पी० के मानकों को पूरा करती है।
6. वरिष्ठ कोषधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
7. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
10. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन०आई०सी० को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव